न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढ़ जिला अजमेर
पीठासीन अधिकारीः श्रीमति निशा सहारण (आर.ए.एस)
प्रार्थना पत्र सं0 21/2008

श्रीमती साधना छाजेड पत्नि श्री विनय छाजेड , जाति छाजेड उम्र 43 वर्ष निवासी धानमण्डी पुराना शहर किशनगढ

2. श्रीमती नीता बाफणा पत्नि पदम बाफणा जाति बाफणा उम्र 34 वर्ष निवासी बाफणो का मोहल्ला पुराना शहर किशनगढ।
3. श्रीमती मनीषा पत्नि श्री नीरज जाति छाजेड आयु 35 वर्ष निवासी मित्र निवास कॉलोनी मदनगंज किशनगढ
4. श्रीमती पूजा पत्नि श्री प्रकाश जाति छाजेड उम्र 43 वर्ष निवासी धानमण्डी किशनगढ जिला अजमेर।

—वादीगण

बनाम

1. श्री मुकुल गर्ग पुत्र श्री मालचन्द गर्ग जाति गर्ग मार्फत मीनाक्षी एजेन्सी औसवाली मोहल्ला मदनगंज किशनगढ।
2. कु. ओजस्वी अग्रवाल पुत्र श्री नन्दकिशोर अग्रवाल जाति अग्रवाल नाबालिग जरिये प्राकृतिक संरक्षक पिता श्री नन्दकिशोर अग्रवाल पुत्र श्री जगदीशचन्द्र अग्रवाल जाति अग्रवाल निवासी औसवाली मौहल्ला, मदनगंज किशनगढ जिला अजमेर।
3. श्रीमती ज्योति अग्रवाल पत्नि श्री नन्दकिशाोर अग्रवाल जाति अग्रवाल निवासी औसवाली मोहल्ला मदनगंज जिला अजमेर।
4. श्रीमती मन्जू गर्ग पत्नि श्री मालचन्द गर्ग जाति औसवाल निवासी नांगलिया आर्ट के पीछे सिटी रोड मदनगंज किशनगढ
5. श्रीमती कमला पत्नि श्री धमेन्द्र जाति गुर्जर आयु 35 वर्ष निवासी गुर्जर मोहल्ला किशनगढ जिला अजमेर
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार किशनगढ।

—प्रतिवादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 89, 91 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 व भू.राज.अधि. 136
वादी अधिवक्ताः— श्री हनुमान प्रसाद शर्मा
प्रतिवादी अधिवक्ता:— श्री रामदेव गुर्जर **दिनांक** 25/11/24

आदेश

वादी ने एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 91 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम तथा 136 भू. राज.अधि. के तहत पेश कर कथन किया कि ग्राम किशनगढ तहसील किशनगढ जिला

Signature Not Verified
Digitally signed by Nisha Saharan
Date: 2024.12.03 14:39:05 IST
Reason: SelfAttested

कृषि भूमि खसरा नम्बर 1455 रकबा 35 बीघा 08 बिस्वा स्थित थी, जिसके मूल भैरू, लादू, पुत्रगण नाहरा बहिस्सा बराबर थे। मूल खातेदारान ने आपसी सहमति से विभाजन करवा लिया विभाजन पश्चात मूल खसरा 1455 के दो खसरा 1455/1 17 बीघा 14 बिस्वा व खसरा नम्बर 1455/2 रकबा 1 बीघा 14 बिस्वा बने। खसरा 1455/1 का भैरू पुत्र नाहरा एवं खसरा नम्बर 1455/2 का लादू पुत्र नाहरा खातेदार श्तकार हो गये। खसरा नम्बर 1455/1 रकबा 17 बीघा 14 बिस्वा भूमि को वादिया संख्या व 2 ने रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के जरिये हिस्सा बराबर क्रय कर लिया जिसकी वे खातेदार काश्तकार है। खसरा नम्बर 1455/2 रकबा 17 बीघा 14 बिस्वा भूमि को वादिया संख्या 3 से 4 व प्रतिवादिया संख्या 5 ने रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के जरिये हिस्सा बराबर क्रय कर लिया जिसकी वे खातेदार काश्तकार है राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में वादियागण का नाम बतौर खातेदार काश्तकार के दर्ज है। ग्राम किशनगढ तहसील किशनगढ की कृषि भूमि खसरा नम्बर 1453 रकबा 25 बीघा भूमि को खसरा नम्बर 1455 के पश्चिम दिशा में स्थित है के मूल खातेदार भैरू पुत्र श्री नाहरा जाति गुर्जर थे, प्रतिवादी संख्या 1 से 4 ने खसरा नम्बर 1453 की भूमि भैरू पुत्र नाहरा से क्रय कर ली है जिसके वे खातेदार काश्तकार है। वादियागण व प्रतिवादिया संख्या 5 के खातेदारी व कब्जा काश्त की भूमि खसरा नम्बर 1455/1 व 1455/2 मूल खसरा नम्बर 1455 की भूमि राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में कुल 35 बीघा 08 बिस्वा दर्ज है तथा मौके पर भी वादियागण प्रतिवादिया संख्या 5 के कब्जे में 35 बीघा 08 बिस्वा भूमि स्थित है। किन्तु राजस्व नक्शे में रकबा कम दर्शित है अर्थात जमाबन्दी में व मौके पर रकबा 35 बीघा 08 बिस्वा है किन्तु राजस्व नक्शे में रकबा इससे कम दर्शित है। प्रतिवादी संख्या 1 से 4 की कृषि भूमि खसरा नम्बर 1453/1, 1453, 1453/3 मूल खसरा नम्बर 1453 की भूमि राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में कुल 25 बीघा भूमि स्थित है किन्तु राजस्व नक्शे में रकबा अधिक दर्शित है अर्थात जमाबन्दी में व मौके पर प्रतिवादी संख्या 1 से 4 की भूमि 25 बीघा है किन्तु राजस्व नक्शे में रकबा इससे अधिक दर्शित है। वादियागण ने अपने खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 1455/1, 1455/2 मूल खसरा नम्बर 1455 के सीमाज्ञान के लिए तहसीलदार किशनगढ के यहा दिनांक 02.05.2011 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया वादियागण की भूमि का सीमाज्ञान दिनांक 10.05.2011 को किया जाकर मौका पर्चा तैयार किया तब वादियागण को जानकारी हुई कि वादियागण की भूमि के जमाबन्दी में दर्ज व मौके पर काबिजानुसार राजस्व नक्शे में इन्द्राज नही है दोनो में अन्तर है जमाबन्दी में दर्ज रकबे से कम रकबा नक्शे में दर्ज है। वादीयागण की कृषि भूमि खसरा नम्बर 1455/1 व 1455/2 की भूमि का राजस्व नक्शे में इन्द्राज राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी के खाते में दर्ज रकबे से मिलान नही करता है दोनो में अन्तर है राजस्व नक्शे में दर्ज रकबा जमाबन्दी में दर्ज रकबे एवं मौके पर काबिज स्थिति से कम है राजस्व नक्शे में कम रकबा दर्ज होने से वादियागण को अनेक परेशानिया उत्पन्न होगी, इसलिये राजस्व नक्शे में वर्तमान में खसरा नम्बर 1455/1, 1455/2, (1455) के इन्द्राज को शून्य घोषित किया जाकर राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में दर्ज रकबा व मौका स्थिति के अनुसार राजस्व नक्शे में इन्द्राज दुरुस्ती की जानी आवश्यक है इस लिये यह बात घोषणात्मक डिक्री एवं इन्द्राज दुरुस्ती श्रीमान के यहा प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ है। वाद कारण ग्राम किशनगढ़ [illegible] को सीमाज्ञान के समय राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी मौके पर काबिज स्थिति व राजस्व नक्शे में अन्तर होने की जानकारी

Signature Not Verified
Digitally signed by Nisha Saharan
Date: 2024.12.03 14:39:05 IST
Reason: SelfAttested

उत्पन्न हुआ जो निरन्तर जारी है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि वादियागण व ा संख्या 5 के कब्जे काश्त व खातेदारी की ग्राम किशनगढ स्थित कृषि भूमि खसरा 455/1 व 1455/2 मूल खसरा नम्बर 1455 रकबा 35 बीघा 08 बिस्वा का राजस्व में वर्तमान में दर्ज गलत इन्द्राज को शून्य घोषित किया जाने की एवं राजस्व रिकार्ड बन्दी में दर्ज एवं काबिजानुसार रकबा 35 बीघा 08 बिस्वा भूमि का इन्द्राज राजस्व नक्शे दुरूस्त किया जाने की डिक्री पारित फरमावें।

वादी का वाद दिनांक 07.02.2012 को दर्ज रजिस्टर किया गया तथा प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किये गये। प्रतिवादी संख्या 02 व 03 की ओर से वकील श्री आलोक बाकलीवाल ने वकालतनामा पेश किया तथा प्रतिवादी संख्या 01 , 04 , 05 की ओर से वकील श्री रामदेव गुर्जर ने वकालतनामा पेश किया। दिनांक 07.07.2017 तक भी जवाब पेश नहीं करने के कारण प्रतिवादी संख्या 01 से 05 का जवाब बन्द किया गया तथा पत्रावली साक्ष्य में रखी गई। दिनांक 28.02.2020 को वादी की साक्ष्य ली गई जिसमें वादी द्वारा पेश दस्तावेज पर प्रदर्श का अंकन किया जो इस प्रकार है:– **प्रदर्श 01** जमाबन्दी सम्वत 2060–63 खाता संख्या 01 खसरा संख्या 105 **प्रदर्श 02** जमाबन्दी सम्वत 2060–63 **प्रदर्श 03** नक्शा ट्रेस सम्वत 2027 की प्रमाणित नकल **प्रदर्श 04 ए** सीमाज्ञान आवेदन पत्र। दिनांक 03.07.2024 को वकील प्रतिवादी ने साक्ष्य पेश नहीं करने हेतु निवेदन किया जिसके कारण प्रतिवादी की साक्ष्य तथा जिरह बन्द की गई तथा दिनांक 11.11.2024 को वकील उभयपक्ष की मूल वाद पर बहस सुनी गई जिसमें वकील वादी द्वारा वाद पत्र के तथ्यों को दोहराया गया तथा वकील प्रतिवादी द्वारा बहस पूर्ण की गई।

हमारे द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात, वाद पत्र का अवलोकन किया गया एवं वकील वादी की बहस पर मनन किया गया। वकील वादी द्वारा सम्पूर्ण वाद पत्र में इस तथ्य का उल्लेख नहीं किया गया है कि वादग्रसित खसरा संख्या 1455/1, 1455/2 व मूल 1455 में कितने रकबे का गलत इन्द्राज किया गया है एवं कब किया गया है एवं वादी वाद के साथ संलग्न दस्तावेजात के आधार पर वाद को सिद्व करने में असफल रहें है। अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर वादी का वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 91 राज.का. अधि. एवं 136 भू.राज. अधि. खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

आदेश मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 25/11/24 को खुले न्यायालय में सुनाया जाकर हस्ताक्षरित किया गया।

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ अजमेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Nisha Saharan
Date: 2024.12.03 14:39:05 IST
Reason: SelfAttested